### न्यायालय-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग- 1 बैतूल, के न्यायालय के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बैतूल

(पीठासीन न्यायाधीश – प्रदीप के वरकडे)

<u>व्यवहार वाद क्रमांक:-2300108 / 2016</u> <u>संस्थापन दिनांक:- 22 / 09 / 2016</u>

श्रीमती नीतू पति नितिन अग्रवाल, उम्र–37 वर्ष निवासी–घोडाडोंगरी, जिला बैतूल (म.प्र)

<u>.वादी</u>

#### ब ना म

- 1. किर्ती पति स्व. कैलशचंद अग्रवाल
- 2. आकाश अग्रवाली पिता स्व. श्री कैलाशचंद्र अग्रवाल
- 3. गगन नितर स्व. कैलाशचंद्र अग्रवाल
- दिप्ती अग्रवाल पिता स्व. कैलाशचंद्र अग्रवाल
- 5. जुगलकिशोर बंग पिता घनश्याम बंग आयु 56 वर्ष
- मिथलेश जैन पिता स्व. भैय्यालाल जैन, आयु 48 वर्ष
- 7. उषा जैन पति संतोष जैन आयु 53 वर्ष
- साधन जैन पति अशोक जैन, आयु 53 वर्ष
- 9. लक्ष्मी साहू पिता स्व. चुन्नीलाल साहू आयु 60 वर्ष
- 10. तुलाराम साहू पिता स्व. चुन्नीलाल साहू, आयु 38 वर्ष सभी अनावेदकगण निवासी—घोडाडोंगरी, व्यवसाय—व्यापार, जिला बैतुल(म.प्र)
- 11. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर बैतूल जिला बैतूल म0प्र0

.....प्रतिवादीगण

### <u>-: (आ देश):-</u>

### (आज दिनांक 06/11/2017 को पारित)

- 1. इस आदेश द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 व्य.प्र.सं. आई.ए. नंबर—1 का निराकरण किया जा रहा है।
- 2. वादी का आवेदन इस प्रकार है कि माननीय न्यायालय के समक्ष एक बाद स्वत्वघोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रस्तुत किया है जिसमें वाद पत्र में उल्लेखित कारणों से वादिनी के सफल होने की पूर्ण संभावना है। दिनांक 20.08.2010 को श्री सुमित सपरा पिता स्व. श्री रामप्रकाश सपरा निवासी घोडाडोंगरी जिला बैतूल से उनके स्वामित्व एवं अधिपत्य की निम्न वर्णित भूमि प.इ.नं.—20, खसरा नंबर 532/14, रकबा—0.020 हैक्टेयर, मौजा—घोडाडोंगरी क्य की थी एवं मौके पर अधिपत्य (कब्जा) प्राप्त किया था (जिसे आगे इस वाद पत्र में 'वादग्रस्त भूमि' के नाम से संबोधित किया गया है।) वादगस्त भूमि की चतुर्सिमा निम्नानुसार:—पूर्व स्व. कैलाशचंद की भूमि, पश्चिम—सामान्य डामर मार्ग (घोडाडोंगरी से सारनी), उत्तर—एम.पी.पी.ई.बी. की रोड, दिक्षण—वादनी की शेष भूमि। एनेक्चर ''ए''—खसरे की नकल एनेक्चर ''ए'' संलग्न प्रस्तुत है। चर्तुसीमा के मध्य स्थिमत रकबा0.020 हैक्टेयर वादग्रस्त भूमि पर पश्चिम कि ओर पक्की 6 दुकाने निर्मित है जिनकी लंबाई 0 चौडाई 72 होकर रकबा तथा क्षेत्रफल 2160 वर्गफुट है। एनेक्चर ''बी''—नजरिया नक्शा एनेक्चर ''बी'' संलग्न प्रस्तुत है। दुकाने

वादिनी की मालकियत एवं कब्जे की भूमि पर स्थित होकर वादिनी उपरोक्त 6 दुकानों की एक मात्र स्वामी होकर अधिपत्यधारी है।

- वादी ने आवेदन में यह भी बताया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 4 वादिनी के पारिवारिक सदस्य होकर वादिनी के स्वर्गीय काका ससुर स्व. श्री कैलाशचंद्र अग्रवाल की प्रतिवादी क्रमांक 1 पत्नी है एवं 2 और 3 पुत्र एवं नंबर 4 पुत्री है। प्रतिवादी क्रमांक 1 के पति एवं प्रतिवादी क्रमांक 2 से 4 के पिता स्व. कैलाशचंद अग्रवाल जो कि वादिनी के काका ससुर लगते थे उन्होंने कुटुम्ब के सदस्य होने एवं क्षेत्र की अधिकतम जमीन वादिनी के कुटुम्ब की खानदानी जमीन होने से स्व. श्री कैलाशंचद्र जी द्वारा उपरोक्त स्थिति का फायदा उठाते हुये एवं वादिनी के नागपूर निवासी होने का फायदा उठाकर उपरोक्त वादग्रस्त भूमि एवं उस पर निर्मित दुकानों को अपनी मालकीयत की बताते हुये एवं तत्कालीन पटवारी से मिलीभगत कर गलत नक्शा आदि बनाकर अपने खसरा नंबर की भूमि एवं मालकीयत की गलत जानकारी देते हुये बेचने का प्रयास किया गया एवं उपरोक्त 6 दुकानों में से 5 दुकाने जिनका क्रमांक 1 से 5 है को प्रतिवादीगण क्रमांक 5 से 9 को विक्रय कर उनके पक्ष में यह जानते हुये भी कि ये दुकाने वादिनी के स्वत्व एवं अधिपत्य कि है विक्रय कर विक्रय पत्र निष्पादित किया गया साथ ही कब्जा भी दे दिया गया। श्री कैलाशचंद्र जी की मृत्यु हो जाने की वजह से वादिनी द्वारा प्रतिवादीगण क्रमांक 1 से 4 उनके वारसान होने से उन्हें उनके स्थान पर पक्षकार बनाया गया है। एनेक्चर ''सी'' विक्रय पत्र की फोटोकॉपी प्रस्तुत है। स्व. श्री कैलाशचंद्र जी कूटुम्ब के सदस्य होने एवं क्षेत्र की अधिकतम जमीन वादिनी के कुटुम्ब की खानदानी जमीन होने से स्व. श्री कैलाशचंद जी द्वारा उपरोक्त स्थिति का फायदा उठाते हुये एवं वादिनी के नागपुर निवासी होने का फायदा उठाकर उपरोक्त वादगस्त भूमि एवं उस पर निर्मित दुकानों को अपनी मालकीयत की बताते हुये एवं तत्कालीन पटवारी से मिलीभगत कर गलत नक्शा आदि बनाकर अपने खसरा नंबर की भूमि एवं मालकीयत की गलत जानकारी देते हुए बेचने का प्रयास किया गया एवं उपरोक्त 6 दुकानों में से 5 दुकाने जिनका क्रमांक 1 से 5 है को प्रतिवादीगण क्रमांक 5 से 9 को विक्रय कर उकने पक्ष में यहजानते हुये भी कि ये दुकाने वादिनी के स्वत्व एवं अधिपत्य की है। विक्रय कर विक्रय पत्र निष्पादित किया गया साथ ही कब्जा भी दे दिया गया।
- वादी ने आवेदन में यह भी बताया है कि उपरोक्त जमीन वादिनी के मालकी एवं हक कि खसरा नंबर 532 / 4 की जमीन का भाग है जो कि वादिनी के इस भाग में घोडाडोंगरी से सारणी बनी डामर रोड के कारण उसकी मूल जमीन से रोड के पूर्व में तुकड़ा बचा होने से उस पर ये दुकाने बनायी गयी थी किन्तू स्व.श्री कैलाशचंद्र जी द्वारा उनके खसरा नंबर 537/3 जो कि वादिनी की मालकियत कि भूमि से लगा हुआ होने से स्व. श्री कैलाशचंद्र जी द्वारा पटवारी से मिली भगत कर अपनी मालकियत कि जमीन खसरा नंबर 537 / 3 का हिस्सा बमताकर अपनी मालकियत होना दर्शाते हुये धोखाधड़ी पूर्वक प्रतिवादीगण क्रमांक 5 से 10 को विक्रय की गयी है उपरोक्त स्थिति खसरा विभाजन के वक्त प्रशासन द्वारा बनाये गये बंदोबस्त नक्शे द्वारा स्पष्ट है बंदोबस्त नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करने हेतु नकल आवेदन प्रस्तुत किया गया है किन्तु अभी तक प्राप्त नहीं हो पाने से जब भी यह नक्शा प्राप्त होगा उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का अपना अधिकार वादिनी सुरक्षित रखती है। वादिनी का मामला प्रथम दृष्टाया वादिनी के पक्ष में है। वादग्रस्त दुकानों पर वर्तमान में प्रतिवादीगण का अधिपत्य होने से यदि वादिनी के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा पारित कि जाती है तो प्रतिवादीगण को कोई क्षति कारित नहीं होगी किन्तु यदि नहीं कि गयी तो वे वादग्रस्त संपत्ति का अन्यन्त्र हस्तातंरण आदि कर देने जिससे वादिनी को कई वैधानिक जटिलताओं का सामना करना पड़ेगा एवं उसे अपरिमित हानि होगी सबब सुविधा का संतूलन भी वादिनी के पक्ष में है। प्रतिवादीगण को वाद का अंतिम निर्णय होने तक

वादग्रस्त भूमि एवं एस पर निर्मित दुकानों के किसी भी प्रकार के हस्तांतरण को रोका जाना न्याय हित में आवश्यक है। आवेदक के समर्थन में वादिनी का शपथ पत्र संलग्न है। अतः आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि एवं उस पर निर्मित दुकानों के किसी भी प्रकार के हस्तांतरण से वाद के अंतिम निराकरण होने तक रोके जाने हेतु एवं यथा स्थिति बनाये रखने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु योग्य आदेश देने का निवेदन किया ।

- 5. प्रकरण में प्रतिवादी क. 4 लगायत 11 प्रारंभ से ही उपस्थित नहीं हुए है इसलिए दिनांक 08.12.16 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।
- प्रतिवादी क. 1, 2, 3 ने वादी के आवेदन पत्र के सभी अभिवचनों को अस्वीकार करते हुए उनके जवाब में व्यक्त किया है कि वादिनी के स्वर्गीय काका ससुर स्व.श्री कैलाशचंद्र अग्रवाल की प्रतिवादी क्रमांक 1 पत्नी है एवं 2 और 3 पुत्र एवं क्रमांक 4 पुत्री है। वादी द्वारा विवादित की गई संपत्ति पर प्रतिवादीगण का अधिपत्य है। यह अधिपत्य प्रतिवादीगण का स्वामित्व की हैसियत से है। प्रतिवादीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण है। वादी एवं उसके पति ने सुमित सपरा के साथ मिलकर साजिश कर कैलशचंन्द्र की भूमि का हडपने के लिए ही गलत चतुर्सीमा दर्शाकर विक्रयपत्र का पंजीयन करवाया और अब असत्य आधार पर यह दावा प्रस्तुत किया है। खसरा नंबर 537 / 3 पर 6 दुकाने बनी है जो कि प्रतिवादी क्रमांक 1 से 4 के स्वामित्व एवं अधिपत्य की है। सुमित सपरा से षडयंत्र के तहत नितीन अग्रवाल ने सुमित सपरा के पक्ष में गलत चतुर्सीमा के आधार पर पंजीबद्ध विक्रयपत्र निष्पादित किया, बाद में पत्नी नीतू के नाम से पंजीबद्ध विकय पत्र अपने दोस्त सुमित सपरा से षडयंत्र के तहत करवाकर अब उस विक्रयपत्र के आधार पर यह विवाद उत्पन्न किया है। वादी असत्य आधारों पर दुर्भावना के साथ माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ है। प्रथमतः तो वादी द्वारा विवादित की गई संपत्ति की पहचान का ही अभाव इस वाद में है। अन्यथा भी जिन दुकानों से संबंधित भूमि का उल्लेख वादी द्वारा किया गया है वह संपत्ति प्रतिवादीगणों के स्वामित्व एवं अधिपत्य की हैं। वह संपत्ति प्रतिवादीगणों के स्वामित्व एवं अधिपत्य की है। वादी एवं वादी के पति एवं उसके भाई बहन द्वरा इन प्रतिवादीगणों के विरूद्ध असत्य आधारों पर लगभग 7–8 व्यवहार वाद प्रस्तृत किए गए है जो कि भिन्न भिन्न न्यायालयों में लंबित है जिनका एक मात्र उद्देश्य प्रतिवादीगणों को परेशान करना मात्र है। वादी अस्वच्छ हाथों से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुई है अतः वादी द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन निरस्त किया जावे।
- 7. <u>आवेदन के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय बिन्दु है</u> :— 1— क्या प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में है ? 2— क्या सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है ? 3— क्या अस्थायी निषेधाज्ञा वादी के पक्ष में जारी न होने से उसे कोई अपूर्णीय क्षति होना संभावित है ?

## : : सकारण निष्कर्ष : :

# विचारणीय बिन्दु कंमांक 1

- 8. उभयपक्षो की ओर से परस्पर विरोधीभाषी एवं खंडनकारी शपथपत्र प्रस्तुत किए है मात्र शपथ पत्रों के आधार पर कोई निष्कर्ष निकाला जाना संभव नहीं है।
- 9. वादिनी की ओर से दिनांक 22.09.16 को आदेश 7 नियम 1 सीपीसी का असल दस्तावेज, वादिनी श्रीमती नीतू अग्रवाल का शपथ पत्र आदेश 39 नियम 1 व 2

सीपीसी , वादिनी नीतू अग्रवाल का शपथ पत्र, वकालत नामा, दस्तावेज सूची की असल दस्तावेज प्रस्तृत किये साथ ही खसरा नंबर 532/4 किस्तबंधी, खतौनी, एनेक्चर ए ऋणपुस्तिका, खसरा नंबर 532, एनेक्चर बी विक्रय पंजीयन पत्र नीतू अग्रवाल के नाम से मय खसरा दिनांक 20.08.10 की फोटोकापी प्रस्तुत की गई। वादिनी द्वारा उसके आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी के आवेदन में अभिवचन किया है कि 6 दुकानों में से पांच दुकान क्रमांक 1 लगाया 5 को प्रतिवादी 5 से 9 के विक्रय कर उनके पक्ष में जानते हुए विक्रय निष्पादित कर कब्जा दे दिया है बताया है। वादिनी ने अपने आवेदन पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र के अलावा कोई भी 1 लगायत 5 दुकानों के संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया प्रकरण वादी के पक्ष में नहीं पाया जाता है।

#### विचारणीय प्रश्न क0 2 व 3 का सकारण निष्कर्ष

- जहां तक प्रथम दृष्टया मामला वादिनी के पक्ष में नहीं पाया जाता। ऐसी दशा में वादिनी के पक्ष में सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति भी नहीं पाया जाता । फलतः विचारणीय बिन्दु क्रमांक 2 और 3 भी वादिनी के पक्ष में प्रथम दृष्टया नहीं पाया जाता।
- उपरोक्त विवेचना अनुसार तीनों विचारणीय बिन्दुओं वादी/आवेदक के 11. पक्ष में प्रथम दृष्टया नहीं पाया गये हैं ऐसी दशा में वादी/आवेदक का आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 व्य.प्र.सं. (आई ए नंबर 1) दिनांक 22.09.16 निरस्त किया जाकर निराकृत किया गया।
- इस आदेश या इस आदेश में किसी निष्कर्ष का कोई प्रभाव प्रकरण के गुण-दोषों पर नहीं होगा।

आदेश हस्ताक्षरित एवं, पारित किया गया।

मेरे आलेख पर टंकित किया गया।

(प्रदीप के. वरकडे) बैतूल

(प्रदीप के. वरकडे) (प्रदीप क. वरकड) प्रथम अति.व्यवहार न्याया०वर्ग—1, प्रथम अति. व्यवहार न्याया०वर्ग—1, (प्रदीप के. वरकडे) बैतूल